



## जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

### आजीवन सदस्यता आवेदन पत्र

सेवा में,

अध्यक्ष/महामंत्री

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा

3, पोर्तुगीज चर्च स्ट्रीट

कोलकाता-700001

फोटो

मान्यवर,

मैं महासभा की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन कर रहा हूँ। मेरा विवरण निम्नप्रकार है-

1. नाम (श्री/श्रीमती) .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. मूल निवास ..... प्रवास .....
4. वर्तमान पता  
1. कार्यालय .....
- दूरभाष ..... इमेल .....
2. आवास .....
- दूरभाष ..... मोबाइल नं. ....
5. शैक्षणिक योग्यता ..... व्यवसाय .....
6. जन्म तिथि ..... ब्लड ग्रुप .....
7. तेरापंथ कार्ड नं. .... आधार नं. ....
8. मैं वर्तमान में ..... सभा/संस्था का सदस्य हूँ।

हस्ताक्षर .....

## मैं सत्यापित करता हूँ कि —

1. महासभा के पंजीकृत नियमोपनियम मुझे सहर्ष स्वीकार्य हैं। मैं सदैव इनकी अनुपालना करूंगा/करूंगी।
2. जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसकी पूर्ववर्ती आचार्य परंपरा व वर्तमान आचार्य के प्रति मेरी अटूट आस्था है।
3. तेरापंथ धर्मसंघ की मान्यताओं, सिद्धान्तों और मर्यादाओं में मेरा पूर्ण विश्वास है।
4. मैं जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं, धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध किसी भी कार्य में संलग्न नहीं था/थी और न ही भविष्य में संलग्न रहूंगा/रहूंगी।
5. मैं जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं, धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध निंदा/आलोचना में कभी शामिल नहीं था/थी और भविष्य में भी नहीं रहूंगा/रहूंगी। मैंने कभी भी सोशल मीडिया/अन्य मीडिया आदि किसी भी माध्यम से ऐसी निंदात्मक टिप्पणी या संदेश प्रचारित-प्रसारित नहीं किया है और न ही भविष्य में करूंगा/करूंगी। मैं ऐसे कार्य में संलग्न भी नहीं रहा/रही और न ही भविष्य में कभी संलग्न रहूंगा/रहूंगी।
6. मैंने जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं, धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध न तो कोई कानूनी कार्रवाई की है और न ही भविष्य में कभी करूंगा/करूंगी।
7. मैंने कल्याण परिषद की स्वीकृति के बिना/संघीय परंपरा के विपरीत किसी भी संघीय संस्था के विरुद्ध न तो कोई कानूनी कार्रवाई की है और न ही भविष्य में करूंगा/करूंगी।
8. वर्तमान में मेरा महासभा के साथ कोई भी विवाद लंबित नहीं है। भविष्य में यदि ऐसी कोई स्थिति होती है तो महासभा के नियमोपनियम के अंतर्गत मैं उसे कार्यसमिति के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और यदि कार्यसमिति उस संदर्भ में पंचमंडल सदस्यों के निर्णय हेतु अनुशंसा करती है तो मुझे पंचमंडल सदस्यों का निर्णय मान्य होगा।
9. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिया गया सभी विवरण पूर्णतया सत्य है। इसमें दिए गए विवरण असत्य पाए जाने पर कार्यसमिति यदि मेरी सदस्यता रद्द करती है तो उस स्थिति में मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा।

दिनांक .....

हस्ताक्षर .....

## प्रस्तावक द्वारा सत्यापन

मैं श्री ..... द्वारा महासभा की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन का अनुमोदन करता हूँ एवं सत्यापित करता हूँ कि मेरी जानकारी में इनकी तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, उसकी मान्यताओं, सिद्धान्तों और मर्यादाओं के प्रति अटूट आस्था है। ये धर्मसंघ के आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं तथा धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध निंदा/आलोचना में संलग्न नहीं रहे हैं और न ही उसे सोशल मीडिया/अन्य मीडिया आदि के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित करने में संलग्न रहे हैं। जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं, धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध ये किसी भी कार्य और कानूनी कार्रवाई में भी संलग्न नहीं रहे हैं। मैं स्वयं भी उपरिलिखित सभी बातों की पूर्ण अनुपालना करता हूँ एवं भविष्य में भी करता रहूंगा।

प्रस्तावक का नाम ..... सदस्यता क्रमांक ..... मोबाइल नं. ....

प्रस्तावक का पता .....

.....

हस्ताक्षर .....

आवेदन पत्र के साथ सदस्यता शुल्क स्वरूप रु. 21,000/- (इक्कीस हजार मात्र) की राशि (एनईएफटी/ चेक/डी.डी. क्रमांक ..... दिनांक ..... बैंक का नाम.....) संलग्न है।

दिनांक : .....

हस्ताक्षर .....

## कार्यालय उपयोग हेतु

महासभा कार्यसमिति की बैठक दिनांक ..... में सदस्यता आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत किया गया।

महासभा सदस्यता सूची में दिनांक ..... को सदस्यता क्रमांक ..... के अंतर्गत पंजीकृत किया गया।

महामंत्री

## नोट :

1. आवेदन पत्र जारी करने अथवा जमा करने से सदस्यता प्रदान किया जाना सुनिश्चित नहीं है। इसका सर्वाधिकार महासभा कार्यसमिति के पास सुरक्षित है। सदस्यता आवेदन अस्वीकार करने का कारण आवेदक को बताना अनिवार्य नहीं है।
2. सदस्य बनने के बाद उपरोक्त संकल्पों का उल्लंघन होने पर सदस्य रहने की अर्हता समाप्त मानी जा सकेगी।

## सदस्य बनने की अर्हताएं

जैन श्वेताम्बर तेरापंथी महासभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि –

1. सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति महासभा की कार्यसमिति द्वारा निर्धारित सदस्यता आवेदन पत्र को सत्यापित कर निर्धारित शुल्क के साथ महासभा में जमा कराए।
2. सदस्यता आवेदन पत्र को प्रस्तावित करने वाला व्यक्ति महासभा का आजीवन सदस्य ही हो।
3. सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति महासभा के नियमोपनियम के अनुरूप तेरापंथी श्रावक-श्राविका हो। ज्ञातव्य है कि महासभा के नियमोपनियम के अनुसार श्रावक या श्राविका उसे माना जाता है, जिसकी जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसकी पूर्ववर्ती आचार्य परंपरा तथा वर्तमान आचार्य के प्रति अटूट आस्था हो और जो भविष्य में भी अटूट आस्थावान रहने का संकल्प व्यक्त करे। जो धर्मसंघ के धार्मिक सिद्धांतों, मान्यताओं व मर्यादाओं को मानता हो तथा भविष्य में भी मानते रहने का संकल्प व्यक्त करे।
4. सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं तथा तेरापंथ धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध किसी कार्य में संलग्न न रहा हो तथा भविष्य में भी ऐसे किसी कार्य में संलग्न न रहने का संकल्प व्यक्त करे।
5. सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं तथा धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध निन्दा, आलोचना में संलग्न न रहा हो, न ही उसे सोशल मीडिया/अन्य मीडिया आदि के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित करने में संलग्न रहा हो तथा भविष्य में भी ऐसे किसी कार्य में संलग्न न रहने का संकल्प व्यक्त करे।
6. सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति जैन श्वेताम्बर तेरापंथ धर्मसंघ, उसके आचार्यों, अन्य चारित्रात्माओं तथा धर्मसंघ की रीति-नीति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में संलग्न न रहा हो तथा भविष्य में भी ऐसे किसी कार्य में संलग्न न रहने का संकल्प व्यक्त करे।
7. सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति कल्याण परिषद की स्वीकृति के बिना/संघीय परंपरा के विपरीत किसी भी संघीय संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में संलग्न न रहा हो तथा भविष्य में भी ऐसे किसी कार्य में संलग्न न रहने का संकल्प व्यक्त करे।